11.9.13

(3)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा म. प्र.

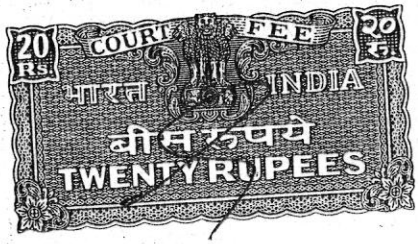

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R-4282-III/13

प्रधि० श्री महेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि. 11.9.13

क्लर्क आफ कोर्ट

संगम लाल गर्ग तनय श्री तुलसीराम गर्ग उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासीग्राम बुसौल तहसील सेमरियाँ जिला रीवा म. प्र. ----- निगरानीकर्ता

बनाम.

1:- शासन म. प्र.

2:- बेवा फूल कुमारी बेवा रामगोपाल उम्र 55 वर्ष

3:- शिवगोपाल पिता हनुमानदीन उम्र 52 वर्ष

4:- मनीप्रसाद पिता हनुमानदीन उम्र 48 वर्ष

5:- विश्वनाथ गुप्ता तनय रामलाल गुप्ता उम्र 60 वर्ष सभी निवासी ग्राम बुसौल तहसील सेमरियाँ जिला रीवा म. प्र. ----- गैरनिगरानीकर्ता

2-12-13

निराकृत/निर्णीत आदेश दिनांक 22.1.2014

निगरानी विरुद्ध आदेश श्री मान् तहसीलदार महोदय तहसील सेमरियाँ जिला रीवा म.प्र. के रा.प्र.क्रमांक - 11 अ - 12/12-13 आदेश दि. 30.4.13 को पारित किया गया है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता 1959 ई.।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नवत है :-

1:- यह कि आवेदक संगमलाल गर्ग तनय तुलसीराम गर्ग निवासी ग्राम बुसौल तहसील सेमरियाँ जिला रीवा म. प्र. का निवासी है जो अपने स्वत्व एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 4282–तीन/13 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–01–17	आवेदक अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 11/अ–12/12–13 में पारित आदेश दिनांक 30–4–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सरहदी कास्ताकारों को सूचना जारी की गई है किन्तु आवेदक को सूचना तामील नहीं कराई गई है। स्थल पंचनामा पर भी आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है। इस संबंध में आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की, परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति का विधिवत निराकरण न करते हुये मात्र राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में त्रुटि की है। स्पष्ट है कि	

तहसील न्यायालय द्वारा विधि में प्रावधानिक प्रकिया का पालन न करते हुये आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3– उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में तहसीलदार सेमरिया का आदेश दिनांक 30–4–13 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण सेमरिया को विधि की मंशा के अनुरूप कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य